10/12/24

GCMS
2024/189

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

रण सं0 96/2024 GCMS:- 2024/189 दायरा दिनांक 02.04.2024

महावीर प्रसाद पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ग्राम सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादी –

1. गुडडी देवी पत्नी श्री हरीराम
2. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री हरीराम
3. केलाश पुत्री श्री हरीराम

अकवाम जाट निवासीगण सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– 1. श्री मूलचन्द शर्मा (अभिभाषक वादी)
2. श्री कमलदत शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद वास्ते घोषणा व अन्य अनुतोष 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.12.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया विचारण तथ्य सक्षेप में इस मामले में इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा काश्तकार इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एंव प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता हरीराम व प्रतिवादी नं0 1 के पति का रोही प्रभातनगर के ख0नं0 20/32 में 30 बीघा भूमि पुख्ता आवंटनशुदा थी। जिसमें से चकबन्दी होने पर इस भूमि मे से चक 4 बी.जे.डब्लयू द्वितीय के प0नं0 53/10 के किला नं0 24, 25 मु.नं. 53/18 में किला नं0 21, 22 बने इन चार बीघो का उन्हे काश्तकार घोषित किया जावें मौके पर उक्त भूमि पर पक्षकारान का पुख्ता आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त है। समस्त साक्ष्य प्रस्तुत कर वादी के चक 4 बी.जे.डब्लयू तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 53/10 24–25 एंव पं.नं. 53/18 के किला नं. 21–22 कुल 4 बीघा जो रोही मौजा प्रभातनगर के वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पिता/पति के पुख्ता आवंटित रकबे से चकबन्दी में आये है मूल आवटिती हरीराम की मृत्यू होने से वाद स्वीकार कर उक्त भूमि के वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को काश्तकार की घोषणा प्रदान करने की प्रार्थीना की।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की और से उनके अभिभाषक उपस्थित आये व इकबाल दावा प्रस्तुत किया। सरकार की और से जवाब दावा प्रस्तुत ना होने पर तनकी ना बना कर साक्ष्य प्राप्त किया गये वादी द्वारा स्वंय के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये [illegible] किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

योग्य अभिभाषक वादी द्वारा [illegible] कराते हुए निवेदन किया कि वादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता प्रतिवादी नं 1 [illegible] पति हरीराम को रोही प्रभातनगर में ख. नं0 20/32 में 30 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कि गई मूल आवंटिती की मृत्यू हो चुकी है। व

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 ता 3 उसके वारिस है व पुख्ता आवटित व उससे बने चक बन्दी में आयी भूमि चक 4 बी.जे.डब्लयू पं0नं0 53/10 कि.नं0 24, 25, पं.नं. 53/18 के 21, 22 कुल 4 बीघा के कब्जा काश्त में है इस भूमि के उन्हे काश्तकार घोषित होने के अधिकार है। शेष भूमि अभी खसरो में है काश्तकार की घोषणा चाही गयी जो दिये जाने योग्य है। किसी पक्ष को कोई आपत्ती नहीं है। मौके पर पक्षकारान का कब्जा है। इस की पुष्टी में जमाबन्दी पटा पुख्ता आवंटन व भू–प्रबन्ध विभग की पर्चा खतोनी की ओर ध्यान दिलाया। व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी नं0 4 ने राज्य सरकार के हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह तथ्य सन्देह से परे सिद्ध होता है कि हरीराम पुत्र आशाराम जाट को ग्राम सोमासर के ख0नं0 20/32 में 30 बीघा बारानी भूमि आवटित हुई थी किन्तु यह भूमि रोही प्रभातनगर में किस खसरा नम्बर में पैमूद हुई स्पष्ट नहीं। मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं हुआ इसके अतिरिक्त जमाबन्दी 2068 ता 71 रोही प्रभातनगर खाता संख्या नया 261 पुराना 95 में ख0नं0 593/187 में 7.5900 है0 बारानी भूमि पु0आ0 दस्तावेजी रिकार्ड से साबित है इसमें भी ना तो भूमि 30 बीघा से कम दर्ज है। कम हुई भूमि का या वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत जिसमें चकबन्दी का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत नहीं हुई। नकल खतोनी रकबा राज की है। इसमें खतोनी में अंकित भूमि किसी अंकित काश्तकार की है का विवरण नहीं है। वादी के कथन दस्तावेजी साक्ष्य से सन्देह से परे सिद्ध होना नहीं पाया जाता सम्बन्धित काश्तकारो एंव इकबाल दावा जो की हितबद्ध काश्तकार है के साथ शपथ पत्र के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जुबानी साक्ष्य ग्रहण योग्य नहीं होने से वाद वादी के कथन सन्देह से परे साबित नहीं होते है।

वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध ना होने व वादी किस श्रेणी का काश्तकार पूर्व में रहा व अब घोषणा चाहता है। स्पष्ट ना होने से निरस्तनीय है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद वास्ते घोषणा वादी एंव प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को चक 4 बी.जे.डब्लयू तहसील सूरतगढ़ पं0नं0 53/10 किला नं0 24–25 पं0नं0 53/18 किला नं0 21–22 कुल 4 बीघा का काश्तकार घोषित करने का वाद सन्देह से परे सिद्ध ना होने से निरस्त किया जाता है। [illegible] हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
सूरतगढ़ (राज.)
अधिकारी, सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

दायरा दिनांक 02.04.2024

प्रकरण सं0 96

महावीर प्रसाद पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ग्राम सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। – वादी –

बनाम

1. गुडडी देवी पत्नी श्री हरीराम
2. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री हरीराम
3. केलाश पुत्री श्री हरीराम

अकवाम जाट निवासीगण सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– 1. श्री मूलचन्द शर्मा (अभिभाषक वादी)
2. श्री कमलदत शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद वास्ते घोषणा व अन्य अनुतोष 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.12.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्लाय कतई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वाद वास्ते घोषणा वादी एंव प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को चक 4 बी.जे.डब्लयू तहसील सूरतगढ़ पं0नं0 53/10 किला नं0 24–25 पं0नं0 53/18 किला नं0 21–22 कुल 4 बीघा का काश्तकार घोषित करने का वाद सन्देह से परे सिद्ध ना होने से निरस्त किया जाता है खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

नोज .....x.....मुबलिग.....x.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर .....x.....फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 18.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़